

प्रेषक,

बी०पी० सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक 10 जुलाई 2018

विषय:- जनपद शाहजहाँपुर में लिपुलेक भिण्ड मार्ग के कि०मी० 474 से राजकीय मेडिकल कालेज (अजीजीपुर जिग्नेरा) शाहजहाँपुर तक 10 मीटर चौड़े पेव्ड शोल्डर के साथ सम्पर्क मार्ग (राज्य मार्ग सं०-29, लम्बाई 1.725 कि०मी०) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-1341नि०/109-01नि०/18, दिनांक 13-06-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद शाहजहाँपुर में लिपुलेक भिण्ड मार्ग के कि०मी० 474 से राजकीय मेडिकल कालेज (अजीजीपुर जिग्नेरा) शाहजहाँपुर तक 10 मीटर चौड़े पेव्ड शोल्डर के साथ सम्पर्क मार्ग (राज्य मार्ग सं०-29, लम्बाई 1.725 कि०मी०) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य की आंकलित लागत रू० 472.29 लाख (रूपये चार करोड़ बहत्तर लाख उन्तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदान करते हुये लागत के सापेक्ष रू० 236.15 लाख (रूपया दो करोड़ छत्तीस लाख पन्द्रह हजार मात्र) व्यय हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार तथा शर्तों/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र० सं०	जनपद	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अनुदान सं०-58 का अंश	अनुदान सं०-83 का अंश	वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1	शाहजहाँपुर	जनपद शाहजहाँपुर में लिपुलेक भिण्ड मार्ग के कि०मी० 474 से राजकीय मेडिकल कालेज (अजीजीपुर जिग्नेरा) शाहजहाँपुर तक 10 मीटर चौड़े पेव्ड शोल्डर के साथ सम्पर्क मार्ग (राज्य मार्ग सं०-29, लम्बाई 1.725 कि०मी०) का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य।	472.29	186.07	50.08	236.15

(1) उपरोक्त तालिका में अंकित निर्माण कार्य उस समय तक प्रारम्भ न किया जाय और न ही उस पर कोई व्ययभार लिया जाय जब तक कि स्वीकृत लागत के अन्दर कार्य का विस्तृत आगणन गठित कर उस पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्राविधिक स्वीकृति न प्रदान कर दी जाय। निर्माण कार्य प्रारम्भ

- करने से पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत कार्य पूर्व से किसी भी विभाग द्वारा किसी अन्य योजना में स्वीकृत तो नहीं है।
- (2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
 - (3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
 - (4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
 - (5) स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति कार्य जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।
 - (6) यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।
 - (7) अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष जमा की जायेगी।
 - (8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
 - (9) मूल्य हास निधि चार्जज की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा करायी जायेगी।
 - (10) विभाग द्वारा प्रस्तावित आगणन में थर्ड पार्टी इन्शपेक्शन की धनराशि सम्मिलित की गयी है। उल्लेखनीय है कि सामान्य कार्यों हेतु थर्ड पार्टी इन्शपेक्शन हेतु आगणन में धनराशि सम्मिलित किये जाने के किसी निर्देश का संज्ञान वित्त विभाग को नहीं है। अतः विभाग इस सम्बन्ध में अपने स्तर पर परीक्षण करते हुए इसे सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में सुनिश्चित हो लेंगे।
 - (11) विभाग द्वारा आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी, प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।
 - (12) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापतियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व विभाग/कार्यदायी संस्था का होगा।
 - (13) प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।
 - (14) विभाग कार्यदायी संस्था के चयन पर सक्षम स्तर का अनुमोदन अपने स्तर से प्राप्त कर लेंगे।
 - (15) प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-0306-राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य एवं अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-06-राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24 वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी0-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30-03-2018 के आलोक में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(बी0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-135/2018/137(1)/23-11-2018-1/2(137)/2018-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम् (निर्माण) उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- मण्डलायुक्त, बरेली/जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर।
- 3- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (बरेली क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग, बरेली।
- 5- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु0-8/वित्त आय-व्ययक अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
- 6- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
- 7- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 8- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
- 9- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र, लखनऊ।
- 11- निजी सचिव, मा0 उप मुख्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बी0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।